FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (SDO) बायतु मुकाम.................

राजूराम बनाम जोगाराम

किस्म मुकदमा रा० वाद 88 RTAct नं. 218/21 सन् 2021

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17/12/21	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री किशनाराम ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 88 RTAct राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 29/12/21 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
29/12/21	वादी वकील उपस्थित। प्रतिवादी संख्या-1 का सम्मन तामील शुदा प्राप्त। प्रतिवादी संख्या-1 की ओर से वकील श्री खेतराम जाखड़ द्वारा वकालतनामा मय इकबाली जवाबदावा पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। अतः पत्रावली वास्ते वादी साक्ष्य दिनांक-07/01/2022 को पेश हो। (हस्ताक्षर) [illegible] (SDO) [illegible]	

07/01/2022

वकुलाम् मरीदिन उपस्थित। वादी वकील द्वारा वादी साक्ष्य के रूप में वादी संख्या-1 स्वयं PW-1 - राजुराम पुत्र श्री जोगाराम उम्र-38 वर्ष जाति-जाट निवासी - कुम्हारा (नौसर) तहसील-बायतु जिला-बाड़मेर व प्रतिवादी साक्ष्य के रूप में प्रतिवादी स्वयं DW-1 - जोगाराम पुत्र ईश्वराराम उम्र-63 वर्ष जाति-जाट निवासी- कुम्हारा (नौसर) तहसील बायतु जिला-बाड़मेर के शपथ-पत्र पेश किये गये जिसे शामिल पत्रावली किया गया। वादी व प्रतिवादी संख्या-1 के अधिवक्ता की बहस सुनी गई पत्रावली व पत्रावली के संलग्न राजस्व रेकर्ड का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन वादगवा को बाद स्वीकार किया जाकर निर्णय अलग से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। डिग्री पर्चा जारी होकर पत्रावली मसल शुमार हो दर्ज नम्बर से उम्र हो दाखिल दफ्तर हो।

राजुराम

ह. नि.
जोगाराम

सहायक कलेक्टर
(SDO) बायतु

न्यायालय सहा

राजस्थान–सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बायतु

(पीठासीन अधिकारी जगदीश सिंह आशिया R.A.S.)

राजस्व वाद संख्या– 218 / 2021

वादी	बनाम	प्रतिवादी
1. राजुराम पुत्र जोगाराम 2. दुर्गाराम पुत्र जोगाराम 3. देराजराम पुत्र जोगाराम 4. चुतराराम पुत्र जोगाराम जाति जाट निवासी बुठसरा (नौसर), तहसील बायतु जिला बाड़मेर		1. जोगाराम पुत्र कंवराराम जाति जाट निवासी बुठसरा (नौसर), तहसील बायतु जिला बाड़मेर

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955.

उपस्थित :– 1. श्री किशनाराम वकील वादी

2. श्री खेताराम जाखड़ वकील प्रतिवादी

–: निर्णय :– दिनांक - 07/01/2022

वादीगण ने यह राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजरथान काश्तकारी अधिनियम 1955 के विरूद्ध प्रतिवादी प्रस्तुत कर यह निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पैतृक संयुक्त खातेदारी की भूमि मौजा सउओं की ढाणी पटवार मण्डल नौसर तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 500 / 404, 514 / 426 रकबा क्रमशः 8.2194, 12.0541 हैक्टेयर एवं मौजा बूठसरा पटवार मण्डल नौसर तहसील बायतु के खेत खसरा नं. 273, 611 / 271 रकबा क्रमशः 5.3879, 4.7003 हैक्टयर एवं मौजा केरलीनाडी पटवार मण्डल नौसर के खेत खसरा नं. 38 रकबा 3.3250 हैक्टयर की आई हुई है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 एक ही पूर्वज के वंशज है तथा प्रतिवादी संख्या 1 वादीगण के पिता है। वादग्रस्त भूमि वक्त सेटलमेंट से वादीगण के दादा व प्रतिवादी संख्या 1 के पिता के कब्जे काश्त की थी तथा सेटलमेन्ट के समय वादीगण के दादा के नाम से पर्चा लगान जारी हुआ व सेटलमेंट से लेकर आज दिन तक वादग्रस्त भूमि पर वादीगण व प्रतिवादी का संयुक्त रूप से कब्जा काश्त है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि वादीगण की पैतृक भूमि है और वादीगण अपने पैतृक भूमि में हिन्दू उतराधिकारी है और हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत वादीगण का वादग्रस्त भूमि में पैतृक हिस्सा है तथा वादीगण अपने हिस्से अनुसार भूमि का बाहामी बंटवाड़ा कर काबिज है। क्योंकि हिन्दू उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार हिन्दू पुरूश के पुत्र, पौत्र एवं प्रपौत्र का विधि अनुसार जन्म से ही सहदायिकी अर्थात पैतृक सम्पति में अधिकार प्राप्त हो जाता है। अतः वादग्रस्त भूमि में वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सहखातेदार घोषित करवाने के अधिकारी है एवं जिस हेतु घोषणा का वाद इस न्यायालय में पेश किया गया है।

सहायक कलक्टर
(SDO) बायतु

प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से वकील श्री खेताराम जाखड़ द्वारा वकालातनामा मय जवाबदावा व शपथ–पत्र पेश कर, वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के समस्त पदों को स्वीकार करते हुए, वादग्रस्त भूमि में वादीगण को सहखातेदार घोषित करने की पूर्ण सहमति प्रदान की है। वादीगण वकील द्वारा वादी साक्ष्य के रूप में वादी संख्या 1 स्वयं है तथा प्रतिवादी वकील द्वारा प्रतिवादी साक्ष्य के रूप में DW-1 जोगाराम पुत्र कंवराराम के जवाब पेश किये गये।

न्यायालय द्वारा पत्रावली के संलग्न दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया तथा प्रतिवादी संख्या 1 का इकबाली जवाब शामिल पत्रावली कर, वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 को सुना गया। चूंकि वादग्रस्त भूमि वक्त सेटलमेंट से वादीगण के दादा कंवराराम के कब्जे काश्त की थी एवं सेटलमेन्ट के समय वादीगण के दादा के नाम से पर्चा लगान जारी हुआ था तथा वादीगण मेहराराम के विधिक वारिसान् है तथा हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत वादीगण का वादग्रस्त भूमि में पैतृक हिस्सा बनता है व वादग्रस्त समस्त भूमि में वादीगण सहखातेदार घोषित करवाने के अधिकारी है।

अतः वादीगण का वाद–पत्र एवं प्रतिवादी संख्या 1 का इकबाली जवाब स्वीकार कर, अन्तिम डिक्री इस आशय की जारी की जाती है कि मौजा सउओं की ढाणी पटवार मण्डल नौसर तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 500/404, 514/426 रकबा क्रमशः 8.2194, 12.0541 हैक्टेयर एवं मौजा बूठसरा पटवार मण्डल नौसर तहसील बायतु के खेत खसरा नं. 273, 611/271 रकबा क्रमशः 5.3879, 4.7003 हैक्टयर एवं मौजा केरलीनाडी पटवांर मण्डल नौसर के खेत खसरा नं. 38 रकबा 3.3250 हैक्टयर में वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ राहखातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। निर्णय अनुसार डिकी पर्चा जारी हो। खर्चा पक्षकारान् अपना–अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 07/01/2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जगदीश सिंह आशिया)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बायतु

अन्तिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बायतु

पीठासीन अधिकारी श्री जगदीश सिंह आशिया R.A.S.

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. राजुराम पुत्र जोगाराम 2. दुर्गाराम पुत्र जोगाराम 3. देराजराम पुत्र जोगाराम 4. चुतराराम पुत्र जोगाराम जाति जाट निवासी बुठसरा (नौसर), तहसील बायतु जिला बाड़मेर		1. जोगाराम पुत्र कंवराराम जाति जाट निवासी बुठसरा (नौसर), तहसील बायतु जिला बाड़मेर

दावा बाबत 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

राजस्व वाद संख्या–218 / 2021. **निर्णय दिनांक :–** 07/01/2022

वादी की ओर से वकील श्री किशनाराम व प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से वकील श्री खेताराम जाखड की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 07/01/2022 को न्यायालय में (नाम पीठासीन अधिकारी) जगदीश सिंह आशिया, सहायक कलक्टर व उपखण्ड अधिकारी बायतु के समक्ष अन्तिम निर्णय किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि :–

वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा सउओं की ढाणी पटवार मण्डल नौसर तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 500 / 404, 514 / 426 रकबा क्रमशः 8.2194, 12.0541 हैक्टेयर एवं मौजा बूठसरा पटवार मण्डल नौसर तहसील बायतु के खेत, खसरा नं. 273, 611 / 271 रकबा क्रमशः 5.3879, 4.7003 हैक्टयर एवं मौजा केरलीनाडी पटवार मण्डल नौसर के खेत खसरा नं. 38 रकबा 3.3250 हैक्टयर के खेत खसरा नम्बर 292 / 6 रकबा क्रमशः 10.9296 हैक्टेयर में प्रतिवादी संख्या 1 के साथ वादीगण को सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। वादग्रस्त भूमि पूर्व की भांति संबंधित बैंक में रहन रहेगी। निर्णय अनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। तहसीलदार बायतु निर्णयानुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करें।

खर्चा वाद पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 07/01/2022 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई।

(जगदीश सिंह आशिया)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बायतु

वाद के खर्चे

वादी	रुपया	प्रतिवादी	रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4. .... रुपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5 साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय		आदेशिका की तामील	
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामिल			
जोड		जोड	